उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–13/12/93-T.C.-का-1-2009

लखनऊ, दिनांक 6 जुलाई, 2009

दिनांक 6 जुलाई, 2009 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नन्दलाल प्रसाद,
अनुसचिव।

क्रम-संख्या 242 (1)

रजिरट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 जुलाई, 2009

आषाढ़ 15, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/12/93 टी०सी०-का-1-142-2009

लखनऊ, 06 जुलाई, 2009

सा०प०नि०–31

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
	विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
भर्ती का स्रोत	7—सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।	**भर्ती का स्रोत**	7—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :
		(1) ड्राइवर ग्रेड-4	सीधी भर्ती द्वारा।
		(2) ड्राइवर ग्रेड-3	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-4 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
		(3) ड्राइवर ग्रेड-2	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-3 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर छः वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-4 और ड्राइवर ग्रेड-3 के पद पर कुल मिला कर पन्द्रह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
		(4) ड्राइवर ग्रेड-1	मौलिक रूप से नियुक्त ड्राइवर ग्रेड-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ड्राइवर ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
			टिप्पणी—उप खण्ड (2) और (3) में निर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के समय उक्त व्यावसायिक परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम शासनादेश संख्या—वे0 आ0—2—433/दस—2005—44/2001 टी0सी0, दिनांक 11 मई, 2006 और शासनादेश संख्या—वे0 आ0—1057/दस—2008, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 में विहित किया गया है।

3—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :— नियम 10 का प्रतिस्थापन

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु	10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायं पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	आयु 10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायं कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

4. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :— नियम 11 का प्रतिस्थापन

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएं	11. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:— (एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (दो) यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम—16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।	प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएं 11. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:— (एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (दो) यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम—16 के अधीन रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
	विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
रिक्तियों का अवधारण	16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार पत्रों में रिक्तियों को विज्ञाप्ति भी करायेगा।	रिक्तियों का अवधारण	16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जाएगी :– (एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके ; (दो) कार्यालय के सूचना-पट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करके; और (तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

नियम 17 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नियम–17 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी।

7. उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम–17 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

नये नियम का बढ़ाया जाना

17–क (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदो के लिए) नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसरण में गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

टिप्पणी : चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किए गये आदेशानुसार किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों के ज्येष्ठता क्रम में, जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, एक सची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।"

8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

नियम 18 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
नियुक्ति	18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम–17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।	नियुक्ति	18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में, लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम–17 या 17–क के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।
	(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।		(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय या जैसा उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाना है।

नियम 21 का प्रतिस्थापन

9. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
	विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
ज्येष्ठता	21. ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी।	ज्येष्ठता	21. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

10. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
	विद्यमान नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
वेतनमान	22. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।	वेतनमान	22 (1). सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। (2) उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत् दिये गए हैं :–

पद का नाम	वेतनमान		
	वेतन बैंड का नाम	तत्सदृश वेतन बैंड (रु० में)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रु० में)
(1) ड्राइवर ग्रेड–4	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
(2) ड्राइवर ग्रेड–3	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
(3) ड्राइवर ग्रेड–2	वेतन बैंड–1	5200–20200	2800
(4) ड्राइवर ग्रेड–1	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200

आज्ञा से,
कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/XII-93 T.C.-Ka-1-142-2009, dated July 06, 2009:

No. 13/XII-93 T.C.-Ka-1-142-2009

Dated Lucknow, July 6, 2009

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor is pleased to make the following rules with a *view* to amending the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT DRIVER'S SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2009.

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (First Amendment) Rules, 2009

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule-7

2. In the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service Rules, 1993, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 7 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :

COLUMN-1		COLUMN-1	
Existing rule		*Rule as hereby substituted*	
Source of recruitment	7. Recruitment to a post in the Service shall be made by direct Recruitment.	Source of recruitment	7. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:
		(1) Driver Grade-4	By direct recruitment.
		(2) Driver Grade-3	By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-4 who have completed nine years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the prescribed trade test.
		(3) Driver Grade-2	By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-3 who have completed six years substantive service on the post of Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment or, taken together, have completed a total fifteen years substantive service on the posts of Driver Grade-4 and Driver Grade-3 on the first day of the year of recruitment and have passed the prescribed trade test.

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	(4) Driver Grade-I	By promotion from amongst substantively appointed Drivers Grade-2 who have completed three years substantive service on the post of Driver Grade-2 on the first day of the year of recruitment.
		NOTE: The syllabus for the trade tests referred to in clauses (2) and (3) above shall be such as may be prescribed by the Government from time to time. At the time of the commencement of the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (First Amendment) Rules, 2009, the syllabus for the said trade tests is prescribed in the Government order no.Va.Aa.-2- 433/Ten-2005-44/2001T.C., dated May 11, 2006 and Government order no. Va.Aa.-2-1057/Ten-2008, dated October 18, 2008.

Substitution of rule 10

3. In the said rule, *for* existing rule-10 set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :—

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Age	10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirty two years on the first day of the year of recruitment in which vacancies are advertised or notified :	Age 10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of twenty one years and must not have attained the age of more than thirtyfive years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised or notified :
	Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

4. In the said rules, *for* existing rule 11 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :- Substitution of rule 11

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Technical and academic qualifications 11. A candidate for direct recruitment to the service must- (i) have passed class viii examination from a recognised educational Istitution, and (ii) possess a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years preceding the date on which vacancy is notified to the employment exchange under rule 16.	Technical and academic qualifications 11. A candidate for direct recruitment to the service must- (i) have passed class viii examination from a recognised educational Istitution, and (ii) possess a valid driving licence for heavy or light vehicle, as the case may be, for a period of not less than three years preceding the date on which vacancy is notified under rule 16.

5. In the said rules, *for* existing rule 16 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :- Substitution of rule 16

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Determination of vacancies 16. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other catgories under rule 8. The appointing authority shall notify the vacancies to the Employment Exchange in accordance with the rules and orders of the Government for the time being inforce, and he may also advertise the vacancies in the leading newspapers	Determination of vacancies 16. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8. The vacancies to be filled by direct recruitment shall be notified in the following manner by the appointing authority :- (i) by issuing advertisment in daily newspaper having wide circulation; (ii) by posting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers; and (iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

Amendment of rule 17

6. In the said rules, in rule 17, *for* existing sub-rule (3) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(3) The Selection Committee shall, after the interview and driving test prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in interview and driving test. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than 25%) than the number of the vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority	(3) The Selection Committee shall, after the interview and driving test prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in interview and driving test. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the post. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

Insertion of new rule

7. In the said rules, *after* existing rule 17, the following new rule shall be *inserted*, namely :-

Procedure for recruitment by promotion

17-A(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitutiontal of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

NOTE-Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time and place the same before the Selection Committee alongiwith their Character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority."

Substitution of Rule 18

8. In the said rules, *for* existing rule 18 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :–

	COLUMN-1		COLUMN-2
	Existing sub-rule		*Sub-rule as hereby substituted*
Appointment	18. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 17.	Appointment	18. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 17 or 17-A, as the case may be.
	(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection .		(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

Substitution of Rule 21

9. In the said rules, for existing rule 21 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :–

	COLUMN-1		COLUMN-2
	Existing rule		*Rule as hereby substituted*
Seniority	21-The seniority of persons substantively appointed to the posts of driver shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.	Seniority	21-The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

Substitution of Rule 22

10. In the said rules, *for* existing rule 22 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :–

	COLUMN-1		COLUMN-2
	Existing rule		*Rule as hereby substituted*
Scale of pay	22. The scale of pay admissible to a person appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.	Scale of pay	22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the variours categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted* (2) the scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Government Department Driver's Service (First Amendment) Rules, 2009 are given as follows :

Name of posts	Name of pay Band	Scale of pay Corresponding Pay Band (Rs.)	Corresponding Grade Pay (Rs.)
(1) Driver Grade-4	Pay Band-1	5200-20200	1900
(2) Driver Grade-3	Pay Band-1	5200-20200	2400
(3) Driver Grade-2	Pay Band-1	5200-20200	2800
(4) Driver Grade-1	Pay Band-2	9300-34800	4200

By order,
KUNWAR FATEH BAHADUR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 355 राजपत्र (हि0)–(656)–2009–597 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट) ।
पी0एस0यू0पी–ए0पी0 6 सा0 नियुक्ति–(657)–2009–4000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट) ।